1

लेखांकन मानकों का परिचय
(INTRODUCTION TO ACCOUNTING STANDARDS)

अध्ययन परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय के अध्ययन पश्चात आप निम्न को समझने में समर्थ होंगे :

- लेखा मानकों की अवधारणा को समझें;
- लेखा मानकों के उद्देश्यों और लाभों को समझें;
- मानक सेटिंग प्रक्रिया सीखना;
- भारत में लेखा मानकों की स्थिति के साथ परिचित;
- अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक प्राधिकरणों को पहचानें;
- वैश्विक मानकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को अपनाने की सराहना;
- अभिसरण *बनाम* गोद लेने के बीच अंतर;
- भारत में आईएफआरएस के अभिसरण की प्रक्रिया को समझना;
- गोदामों के उद्देश्य और अवधारणाओं को समझें।

अध्याय अवलोकन (Chapter Overview)

लेखा मानक के परिचय, स्थिति और लाभ	मानक सेटिंग प्रक्रिया	IFRS वैश्विक मानक के रूप में	IFRS के साथ अभिसरण की आवश्यकता	इंड ए एस की अवधारणा	इंड ए एस में कार्व आउट/इन

1 परिचय (Introduction)

लेखांकन मानक (एएस) अन्य विनियामक निकायों (उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), लेखा मानकों (एनएसीएएस) पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से कंपनियों के लिए

© The Institute of Chartered Accountants of India

लेखा मानक जारी करने वाले) सरकार द्वारा जारी किए गए नीतिगत दस्तावेज लिखे जाते हैं। वित्तीय वक्तव्यों में लेखा लेनेदने के मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के पहलुओं मानक सेटिंग निकायों का स्पष्ट उद्देश्य निवेशकों और कुछ अन्य हितधारकों के लिए समय पर और उपयोगी वित्तीय जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देना है जो कंपनी के आर्थिक प्रदर्शन में रुचि रखते हैं। लेखांकन मानक तर्कसंगतता की सीमा के भीतर वित्तीय वक्तव्य की तैयारी में लेखा विकल्प को कम करते हैं, जिससे विभिन्न उद्यमों के वित्तीय वक्तव्यों की तुलनात्मकता सुनिश्चित करते हैं।

लेखांकन मानक निम्नलिखित के साथ सौदा :

(i) वित्तीय वक्तव्यों में घटनाओं और लेनदेन की मान्यता,

(ii) इन लेनदेन और घटनाओं का माप,

(iii) इन लेन–देन की प्रस्तुति और वित्तीय वक्तव्यों में ऐसी घटनाओं की प्रस्तुति जो पाठक को सार्थक और समझी जाती है, और

(iv) इन लेन देन और घटनाओं से संबंधित प्रकटीकरण, बड़े पैमाने पर जनता और हितधारकों और विशेष रूप से संभावित निवेशकों को सक्षम करने के लिए, इन वित्तीय विवरणों को प्रतिबिंबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके द्वारा विवेकपूर्ण और सूचित व्यवसाय करने में सहायता करने की दृष्टि निर्णय।

लेखांकन मानक के साथ सौदा			
घटनाओं और लेनदेन की मान्यता	लेनदेन और घटनाओं का मापन	लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति	प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

लेखा मानक के लाभ (Benefits of Accounting Standards)

लेखांकन मानक लेखांकन सिद्धांतों, मूल्यांकन तकनीकों और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में लेखांकन सिद्धांतों को लागू करने के तरीकों का वर्णन करना चाहते हैं ताकि वे सही और निष्पक्ष दृश्य दे सकें।

लेखांकन मानक के निम्नलिखित लाभ हैं :

(i) वैकल्पिक लेखा उपचार में मानकीकरण : लेखा मानक उचित वक्त तक कम कर देते हैं या वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के उद्देश्य के लिए लेखांकन उपचार में पूरी तरह भ्रामक भिन्नताएं समाप्त कर देते हैं।

(ii) अतिरिक्त प्रकटीकरण के लिए आवश्यकताएं : ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां महत्वपूर्ण जानकारी को अवश्य प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। मानदंड कानून द्वारा अपेक्षित से भी अधिक प्रकटीकरण के लिए कॉल कर सकते हैं।

(iii) वित्तीय वक्तव्यों की तुलनात्मकता : लेखा मानकों का उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित कंपनियों के वित्तीय वक्तव्यों की भारत में स्थित विभिन्न कंपनियों के वित्तीय वक्तव्यों की तुलना में, और सीमित हद तक, तुलनात्मक रूप से तुलना करने की सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि, इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक देश से संस्थानों, परंपराओं और कानूनी प्रणाली में अंतर अलग–अलग देशों में अपनाए गए लेखांकन मानकों में अंतर पैदा करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

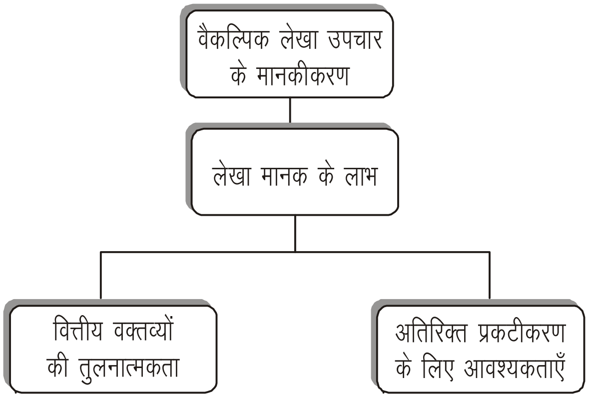

चूंकि लेखा मानक सिद्धांत आधारित हैं, जटिल व्यावसायिक लेनेदने के मामले में लेखा मानक के आवेदन का निर्णय लिया जाता है। लेखा मानकों को कानूनी आवश्यकताओं के अनूरूप पढ़ना होगा, अर्थात् किसी भी संघर्ष के मामले में, संविधि लेखा मानक से अधिक होगा।

लेखांकन मानक विभिन्न खातों की नीतियों को एक दृश्य के साथ मानकीकृत करता है

(i) वित्तीय विवरणों की गैर–तुलनीयता को समाप्त करना और इस प्रकार वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में सुधार करना, अधिकतम संभव हद तक, और

(ii) मानक लेखा नीतियों, मूल्यांकन मानदंडों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का एक समूह प्रदान करें।

मानक नीतियों का उद्देश्य अलग–अलग पहचाने जाने वाले क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली लेखांकन नीतियों पर एक समानता को प्रतिबिंबित करना है, उदाहरण। मूल्य निर्धारण मूल्य, मूल्यह्रास और परिशोधन आदि का पूंजीकरण। चूंकि सभी विशिष्ट उद्यमों के लिए उपयुक्त किसी भी विशिष्ट क्षेत्र के लिए नीतियों का एक समूह निर्धारित करना संभव नहीं है, यह मानकों के अनुरूप पर्याप्त नहीं है और राज्य है कि वे का पालन किया गया है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की जाने वाली लेखा नीतियों को भी प्रकट करना चाहिए। (देखें 1, इस मॉड्यूल के परिशिष्ट। में दी गई लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण) उदाहरण के लिए, एक उद्यम को यह सूचित करना चाहिए कि किस तरह से अनुमत कीमत के सूत्र (FIFO, वेटेड औसत, आदि) को वास्तव में इन्वेंट्री लागतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया गया है।

लेखा आंकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार के अलावा, लेखा प्रक्रियाओं के मानकीकरण में वित्तीय वक्तव्यों की तुलनात्मकता में सुधार, इंट्रा–एंटरप्राइज और इंटर–एंटरप्राइज दोनों में सुधार होता है। इस तरह की तुलना आर्थिक फैसले लेने के लिए वित्तीय वक्तव्यों के उपयोगकर्ता द्वारा इंटरप्राइज की वित्तीय स्वास्थ्य के मूल्यांकन और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बहुत प्रभावी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए उपकरण हैं, उदाहरण के लिए, चाहे वह निवेश करें या न करें, उधार देने के लिए या नहीं।

इंट्रा–एंटरप्राइज की तुलना में वर्षों की संख्या में उसी उद्यम के वित्तीय वक्तव्य की तुलना करना शामिल है। एंटर–एंटरप्राइज की तुलना संभव है यदि एंटरप्राइज हर साल अपनी वित्तीय वक्तव्यों को

© The Institute of Chartered Accountants of India

तैयार करने में समान लेखांकन नीति का उपयोग करता है। अंतर–उद्यम तुलना में एक ही लेखांकन अवधि के लिए विभिन्न उद्यमों के वित्तीय विवरणों की तुलना शामिल होती है। यह तभी संभव है जब तुलनीय उद्यम संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी में समान लेखा नीतियों का उपयोग करते हैं ; (या यदि पॉलिसी थोड़ा अलग होती है, तो इसका वित्तीय विवरणों में खुलासा होता है) लेखा नीतियों के प्रकटीकरण से उपयोगकर्ता तुलनीय उद्यमों के वित्तीय वक्तव्य की तुलना करते समय उचित समायोजन करने की अनुमति देता है।

मानकीकरण का एक अन्य लाभ रचनात्मक लेखांकन के दायरे में कमी है। रचनात्मक लेखांकन एक विशेष ब्याज समूह के अनुकूल वित्तीय विवरणों का निर्माण करने के लिए लेखांकन नीतियों को घुमा देने का उल्लेख करता है। उदाहरण के लिए, राजस्व व्यय का पूंजीकरण करके या मौजूदा लेखा अवधि की राजस्व के खिलाफ पूंजीगत व्यय को लिखकर उन्हें मुनाफा और परिसंपत्तियों को ओवरस्टेट करना संभव है। ऐसी प्रथाओं को केवल पूंजीकरण के लिए नीतियों को तैयार करने से रोक दिया जा सकता है, खासकर सीमा रेखा में मामलों के लिए जहाँ भिन्न दृश्यों के लिए संभव है। लेखा मानकों इस संबंध में पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

संक्षेप में, लेखा मानकों का उद्देश्य वित्तीय वक्तव्यों के उपयोगकर्ताओं के हितों में, तुलनात्मकता, स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य है। अच्छी वित्तीय रिपोर्टिंग ने केवल स्वस्थ वित्तीय बाजारों को बढ़ावा देती है, यह पूंजी की लागत में कमी लाने में भी मदद करती है क्योंकि निवेशकों को वित्तीय रिपोर्टों पर विश्वास हो सकता है और परिणामस्वरूप कम जोखिम का अनुभव होता है।

2. मानक सेटिंग प्रक्रिया (Standards Setting Process)

भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), देश में प्रमुख अकाउंटिंग संस्था रहे, ने 1977 में लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) का गठन कर खुद को नेतृत्व की भूमिका निभाई। आईसीएआई ने लेखांकन मानक जारी करने में महत्वपूर्ण पहल की है यह सुनिश्चित करने के लिए मानक–सेटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से परामर्शदायी और पारदर्शी है। भारतीय लेखा मानकों (एएस) तैयार करने के दौरान एएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस)/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) पर विचार किया और देश में लागू कानून, सीमा शुल्क, उपयोग और कारोबारी माहौल के प्रकाश में उन्हें एकीकृत करने का प्रयास किया। एएसबी की रचना उद्योगों (जैसे एसोचैम, सीआईआई, फिक्की), नियामकों, शिक्षाविदों, सरकारी विभागों आदि के प्रतिनिधियों में शामिल है। हालांकि एएसबी आईसीएआई की परिषद् द्वारा गठित एक संस्था है, यह (एएसबी) तैयार करने में स्वतंत्र है लेखा मानकों और आईसीएआई की परिषद् एएसबी से पारमर्श के बिना एएसबी द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट लेखांकन मानकों में कोई भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है यह ध्यान दिया जा सकता है कि एसएसबी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और इंडिया (आईसीएआई) के तहत एक समिति है जिसमें सरकारी विभाग, शिक्षाविदों, अन्य पेशेवर निकायों जैसे प्रतिनिधि शामिल हैं। आईसीआई, आईसीई, एसोचैम, सीआईआई, फिक्की, आदि के प्रतिनिधियों आदि। लेखा सलाहकार मानकों पर राष्ट्रीय सलाहाकार समिति (एनएसीएएस) ने इन मानकों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से सलाह दी है। एमसीए को भारत में कंपनियों के लिए लागू लेखांकन मानकों को समझना होगा।

लेखा मानक मानक बोर्ड (एएसबी) की मानक–सेटिंग प्रक्रिया को संक्षेप में इस रूप में उल्लिखित किया जा सकता है :

- एएस के गठन के लिए एएसबी द्वारा व्यापक क्षेत्रों की पहचान

© The Institute of Chartered Accountants of India

- विशिष्ट परियोजनाओं पर विचार करने और प्रस्तावित लेखा मानकों के प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एएसबी द्वारा अध्ययन समूहों के संविधान मसौदा में आम तौर पर मानक के उद्देश्य और दायरे, मानक, मान्यता और माप सिद्धांतों में उपयोग की जाने वाली शर्तों की परिभाषाएं जहाँ लागू होती हैं और प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताएं शामिल होती हैं।
- विचार–विमर्श के आधार पर ड्राफ्ट के एएसबी के अध्ययन समूह और संशोधन, यदि कोई हो, द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक ड्राफ्ट पर विचार।
- आईसीएआई के परिषद् के सदस्यों को लेखा मानक (एएसबी द्वारा संशोधन के बाद) के मसौदे का संचलन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (डीसीए), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजीएजी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई) आदि टिप्पणियों के लिए।
- प्रस्तावित लेखा मानक के मसौदे पर अपने विचारों का पता लगाने के लिए निर्दिष्ट बाहरी निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।
- प्रस्तावित लेखा मानक के एक्सपोजर ड्राफ्ट पर अंतिम रूप देना और सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित करना जारी करना।
- आईएससीआई की परिषद् को प्रस्तुत करने और जारी करने के लिए अनुमोदन के लिए एएसबी द्वारा एक्सपोजर ड्राफ्ट पर प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और ड्राफ्ट अकाउंटिंग मानक को अंतिम रूप देने के लिए।
- प्रस्तावित मानक के अंतिम मसौदे और आईसीएआई की परिषद् द्वारा विचार, और यदि आवश्यक हो, तो एएसबी के परामर्श से मसौदा में संशोधन किया जाता है।
- प्रासंगिक विषम (गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए) पर लेखांकन मानक आईसीएआई द्वारा जारी किया जाता है। कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए भारत के केन्द्र सरकार द्वारा लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं।

मानक–सेटिंग प्रक्रिया

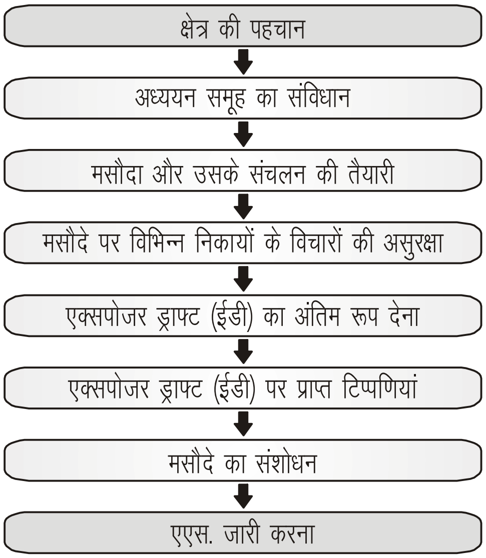

© The Institute of Chartered Accountants of India

इससे पहले, एएसबी ने लेखांकन मानक व्याख्याएं जारी की थीं जो मानक के आवेदन के दौरान उठने वाले प्रश्नों को संबोधित करते हैं। इसलिए प्रासंगिक मानक जारी करने के बाद इन्हें जारी किया गया था। लेखांकन मानक व्याख्या (एएसआई) की प्राधिकरण उस लेखा मानक (एएस) के समान था जो इसे संबंधित करता है हालांकि, कंपनियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन मानक की अधिसूचना के बाद, जहां एएसआई के सर्मसम्मति के हिस्से को लेखा मानक के प्रासंगिक अनुच्छेद में 'स्पष्टीकरण' के रूप में विलय किया गया था, आईसीएआई की परिषद् ने एएसआई के सर्वसम्मति के हिस्से को मर्ज करने का भी निर्णय लिया था। उनके द्वारा जारी लेखा मानक के संबंधित पैराग्राफ को 'स्पष्टीकरण' यह पहल आईसीएआई की परिषद् द्वारा मानकों के दोनों सेटों के अनुरूप करने के लिए लिया गया था, अर्थात् आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार केंद्र सरकार चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट की धारा 3 के तहत गठित भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा अनुशंसित लेखा या किसी भी परिशिष्ट के मानकों को निर्धारित कर सकती है। 1949, के परामर्श से और लेखा मानक पर National Financial Reporting Authority (NFRA) द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा के बाद।

3. कितने लेखांकन मानक ? (How Many Accounting Standards)

भारतीय संस्थान के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कांउंसिल ने अभी तक, नौंवी लेखा मानक जारी किए हैं। हालांकि, 'असंतुलन लेखा' पर एएस 6 को 10 'प्रॉपर्टी, प्लांट एंड एक्विपमेंट *' के संशोधन और 'रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अकाउंटिंग' के रूप में एएस 26 जारी करने के परिणामस्वरूप वापस ले लिया गया है। 'इस प्रकार प्रभावी रूप से, वर्तमान में 27 लेखा मानक हैं। लेखा मानक मानक बोर्ड द्वारा जारी किए गए 'लेखा मानक' को व्यापारिक संस्थाओं द्वारा मानदंडों का पालन करना है ताकि वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाएं।

लेखांकन मानदंड़ों की उनकी उपयुक्त तारीख के साथ निम्नलिखित सूची है :

एएस न.	एएस शीर्षक	तिथि
1.	लेखा नीतियों का प्रकटीकरण	01/04/1993
2.	आविष्कारों का मूल्यांकन (संशोधित)	01/04/1999
3.	कैश फ्लो स्टेटमेंट	01/04/2001
4.	बैंलेस शीट की तिथि (संशोधित) के बाद होने वाली आकस्मिक घटनाएं और घटनाएं	01/04/1998
5.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, लेखांकन नीतियों में पूर्व अवधि के आइटम और परिवर्तन	01/04/1996
6.	मूल्यह्रास लेखांकन	पीपीई पर संशोधित एएस 10 के जारी होने के बाद 1.4.2016 को वापस लिया गया
7.	निर्माण ठेके	01/04/2002
9.	राजस्व मान्यता	01/04/1993

* Earlier As 10 was on 'Accounting for Fixed Assets :

© The Institute of Chartered Accountants of India

10.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संशोधित)	01/04/2016
11.	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	01/04/2004
12.	सरकारी अनुदान के लिए लेखा	01/04/1994
13.	निवेश के लिए लेखांकन (संशोधित)	01/04/1995
14.	अमलगमेसमेंट्स के लिए लेखांकन (संशोधित)	01/04/1995
15.	कर्मचारी लाभ	01/04/2006
16.	उधार लेने की लागत	01/04/2000
17.	सेगमेंट रिपोर्टिंग	01/04/2001
18.	संबंधित पार्टी का खुलासा	01/04/2001
19.	पट्टों	01/04/2001
20.	आय प्रति शेयर	01/04/2001
21.	समेकित वित्तीय विवरण (संशोधित)	01/04/2001
22.	आय पर कर के लिए लेखांकन	01/04/2006
23.	समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन	01/04/2002
24.	अप्रचलित संचालन	01/04/2004
25.	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	01/04/2002
26.	अमूर्त संपत्ति	01/04/2003
27.	संयुक्त उद्यमों में रुचि की वित्तीय रिपोर्टिंग	01/04/2002
28.	आस्तियों की हानि	01/04/2008
29.	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति (संशोधित)	01/04/2004

नोट : एएस 1; एएस 2 (संशोधित); एएस 3; एएस 10 (संशोधित); एएस 11; एएस 12; एएस 13 (संशोधित); और एएस 16; इंटरमीडिएट स्तर पर इस पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं।

4. खाता मानक के स्तर (Status of Accounting Standards)

यह पहले से ही उल्लेख किया गया है कि लेखांकन मानक भारत के चार्टर्ड एकांउटेंट्स के लेखा मानक मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा विकसित किए गए हैं और इसकी परिषद् के प्राधिकरण के तहत जारी किए गए हैं। संस्थान एक विधायी निकाय नहीं है, इसके सदस्यों द्वारा केवल उसके मानकों का अनुपालन लागू कर सकता है। इसके अलावा, मानकों के कानून और स्थानीय नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते लेखांकन मानक फिर भी संबंधित मानकों में निर्दिष्ट तिथियों से अनिवार्य बनाये गये हैं और आम तौर पर सभी उद्यमों पर लागू होते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है कि कुछ अपवादों के अधीन है। लेखा मानक की अनिवार्य स्थिति का निहितार्थ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या संबंधित उद्यम को संचालित

© The Institute of Chartered Accountants of India

करने वाले कानून के लिए लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता है या नहीं। कंपनी अधिनियम ने पहले 28 लेखा मानकों को अधिसूचित किया था और उसमें कहा गया प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कॉर्पोरेट संस्थाओं को अनिवार्य किया था। **हालांकि, 2016 में एमसीए ने एएस 6 को वापस ले लिया है। इसलिए, प्रभावी रूप से अब कंपनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 (केवल 2016 में संशोधित) के अनुसार 27 अधिसूचित लेखा मानदंड हैं।**

5. वैश्विक मानकों के प्रति कष्टप्रद आवश्यकताएं (Need for Convergence Towards Global Standards)

पिछले दशक में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में समुद्र परिवर्तन देखा गया है। पैसों की तलाश में ट्रांस–नेशनल कॉरपोरेशन का विकास न केवल विकास को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि सतत गतिविधियों को बनाए रखने के लिए दुनिया के सभी भागों से पूंजी जुटाने की आवश्यकता है, सीमाओं में काट रहा है।

लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक देश के नियम और विनियमों का अपना सेट है इसलिए, जब कोई उद्यम उस देश के अलावा अन्य बाजारों से पूंजी जुटाने का निर्णय करता है, जिसमें वह स्थित है, तो उस दूसरे देश के नियम और नियम लागू होंगे और इसके बदले में यह आवश्यक होगा कि एंटरप्राइज बीच में अंतर को समझने की स्थिति में है अपने देश के मूल की तुलना में विदेशी देश में वित्तीय रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने वाले नियम इसलिए अनुवाद और बहाली एक ऐसी दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हर तरह से तेजी से वैश्विकरण कर रही है। इसके अलावा, लेखांकन मानकों और सिद्धांतों को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि बड़े समाज वित्तीय वक्तव्यों में विश्वास की डिग्री विकसित कर सके, जो संगठनों द्वारा आगे रखे गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और निवेशक समान लेखांकन मानकों के आधार पर वित्तीय वक्तव्यों की तुलना करना चाहते हैं, और इसने पार–सीमा दाखिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लेखा मानकों के लिए बढ़ते समर्थन की ओर अग्रसर किया है। दुनिया भर में वित्तीय रिपोर्टिंग के सुसंगतता से आम तौर पर उन जानकारियों में निवेश का विश्वास उभरने में मदद मिलेगी जो वे अपने निर्णय लेने और उनके जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं।

साथ ही वित्तीय वक्तव्यों में एकरूपता, युक्तिसंगतता, तुलनीयता, पारदर्शिता और अनुकूलन क्षमता लाने के लिए कानून द्वारा एक मजबूत आवश्यकता महसूस की गई। दुनिया भर के लेखांकन मानकों की बहुलता को सार्वजनिक हित के खिलाफ है अगर एक ही घटनाओं और सूचनाओं के लिए लेखांकन अलग–अलग रिपोर्ट संख्याओं का उत्पादन करता है, जो मानकों की प्रणाली के आधार पर उपयोग किए जा रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि संख्याओं का उपयोग करने वालों की संख्या में लेखांकन तेजी से बदनाम हो जाएगा। यह भ्रम पैदा करता है, त्रुटि को प्रोत्साहित करता है और धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाता है इन बीमारियों के इलाज के लिए सार्वजनिक मानकों का एक सेट, उच्चतम गुणवत्ता वाले, जनता के हित में सेट होना है। ग्लोबल स्टैण्डर्ड्स, सीमा के पार सीमा प्रवाह, विभिन्न शेयर बाजारों में वैश्विक सूची और वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता की सुविधा प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखा मानकों का अभिसरण एक मूल्यवान प्रक्रिया है जो वैश्विक निवेश के मुक्त प्रवाह में योगदान देता है और सभी पूंजी बाजार के हितधारकों के लिए पर्याप्त लाभ प्राप्त करता है। इससे वैश्विक आधार पर निवेश की तुलना करने के लिए निवेशकों की क्षमता में सुधार होता है, और इस प्रकार, निर्णय की त्रुटियों का जोखिम कम करता है। यह वैश्विक परिचालन के साथ कंपनियों के

© The Institute of Chartered Accountants of India

लिए अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग की सुविधा देता है और वित्तीय विवरणों के पुनर्स्थापन के लिए कुछ महंगी आवश्यकताओं को समाप्त करता है। इसमें उत्तरदायित्व का एक नया मानक बनाने की क्षमता है और अधिक पारदर्शिता नियामकों सहित सभी बाजार सहभागियों के लिए मूल्य प्रदान करती है। यह लेखांकन फर्मों के लिए परिचालन चुनौतियों को कम करता है और मानकों के एक तेजी से एकीकृत सेट के आसपास उनके मूल्य और विशेषज्ञता को केंद्रित करता है। रिपोर्टिंग मॉडल को सुधारने के लिए मानक सेटर्स और अन्य हितधारकों के लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर पैदा करता है। दोनों घरेलू और विदेशी देश में संयुक्त सूचियाँ वाली कंपनियों के लिए, कनवर्जेन्स बहुत महत्वपूर्ण है।

6. अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (International Accounting Standard Board)

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण के साथ, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के विकास के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति (आईएएससी), लंदन स्थित समूह जून 1973 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसे अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) के रूप में जाना जाता है आईएएससी में 75 से ज्यादा देशों के पेशेवर लेखा निकाय शामिल हैं (जिनमें भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान भी शामिल हैं)। मुख्य रूप से, आईएएससी को सार्वजनिक हित में, तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों का पालन किया जाना था। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों की स्वीकृति और पालन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक जारी किए गए थे। आईएएससी के सदस्यों ने आईएएससी द्वारा प्रख्यापित मानकों को समर्थन करने और अपने संबंधित देशों में उन मानकों का प्रचार करने की जिम्मेदारी ली है।

1973 और 2001 के बीच, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति (आईएएससी) ने अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक जारी किया। 1997 और 1999 के बीच, आईएएससी ने अपने संगठन का पुनर्गठन किया, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) का गठन हुआ। ये परिवर्तन 1 अप्रैल, 2001 को प्रभावी हुए। इसके बाद, आईएएसबी ने वर्तमान और भविष्य के मानको के बारे में बयान जारी किए; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) नामक घोषणाओं की एक श्रृंखला में आईएएसबी अपने मानक प्रकाशित करता है। हालांकि, आईएएसबी ने आईएसएसी द्वारा जारी मानकों को अस्वीकार नहीं किया है। उन घोषणाओं को "अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक" (आईएएस) के रूप में नामित किया जाना जारी है।

7. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानक रिपोर्टिंग मानक (International Financial Reporting Standards or Global Standards)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड (आईएफआरएस) में आईएएसबी द्वारा जारी IFRS शामिल हैं; अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति (आईएएससी) द्वारा जारी आईएएस; मानक व्याख्याएं समिति (एसआईसी) और आईएएसबी की आईएफआरएस इंटरप्रेटेशन कमेटी द्वारा जारी व्याख्याएं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) मानकों का एक "सिद्धांत–आधारित" सेट माना जाता है वास्तव में, वे विशिष्ट उपचारों को निर्देशित करने के बजाय व्यापक नियम स्थापित करते हैं। हर प्रमुख देश उन्हें कुछ हद तक अपनाने की ओर बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में अधिकारी सार्वजनिक कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए IFRS का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, और इसके अतिरिक्त, बैंक, बीमा कंपनियाँ और स्टॉक एक्सचेंज उनके वैधानिक आवश्यक रिपोर्टों के लिए उपयोग कर सकते हैं तो अगले कुछ वर्षों में, कंपनियां संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना होगा। यह

© The Institute of Chartered Accountants of India

आवश्यकता हजारों उद्यमों को प्रभावित करेगी, जिनमें उनकी सहायक कंपनियों, ईक्विटी निवेशकों और संयुक्त उद्यम सहयोगी शामिल होंगे।

IFRS की बढ़ती उपयोग सार्वजनिक–कंपनी की लिस्टिंग आवश्यकताओं या वैधानिक रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है। वित्तपोषण या लाइसेंसिंग से संबंधित स्थानीय वित्तीय रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए कई उधारदाताओं और विनियामक और सरकारी निकाय आईएफआरएस को देख रहे हैं।

8. आईएफआरएस के अनुरूप होना (Becoming IFRS Compliant)

Any country can become IFRS compliant either by adoption process or by convergence process. Adoption would mean that the country sets a specific timetable when specific entities would be required to use IFRS as issued by the IASB. Convergence means that the country will develop high quality, compatible accounting standards over time. Convergence means alignment of the standards of different standard setters with a certain rate of compromise, by adopting the requirements of the standards either fully or partially. Indian Accounting Standards are almost similar to IFRS but with few carve outs so as to make them suitable for Indian Environment.

- Convergence with IFRS will result in following benefits :
- Improves investor confidence across the world with transparency and comparability.
- Improves inter-unit/inter-firm/inter-industry comparison
- Group consolidation will be easy with same standard by all companies in group irrespective of their global location.
- Acceptability of financial statements stock exchanges across the globe, which will facilitate entry of any Indian company to any stock exchange.

9. इंड एएस में कार्व आउट/इन क्या है ? (What are Carve outs / In IND as)

आईसीएआई के साथ परामर्श में भारत सरकार ने आईएएसबी द्वारा जारी IFRS को एकजुट करने और न लेने का निर्णय लिया। गोद लेने के बजाय अभिसरण का निर्णय आईएफआरएस आवश्यकताओं के विस्तृत विश्लेषण और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद लिया गया।

तदनुसार, IFRS को तैयार करते हुए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के रूप में, इन मानकों को बनाए रखने के लिए, यथसंभव, संबंधित आईएएस / आईएफआरएस और प्रस्थान के अनुरूप प्रयास किए गए हैं, जहां बिल्कुल जरूरी मानी जाती है। इन परिवर्तनों को विभिन्न कारकों पर विचार किया गया है, जैसे कि

- कानून में प्रयुक्त शब्दावली के साथ संगत करने के लिए विभिन्न शब्दावली से संबंधित परिवर्तन किए गए हैं, जैसे 'वित्तीय स्थिति के विवरण' के स्थान पर 'व्यापक आय के विवरण' और 'बैलेंस शीट' के स्थान पर 'लाभ और हानि का विवरण'।
- आईएफआरएस के रूप में इंडस्ट्रीज में लेखांकन सिद्धांतों और प्रथाओं में विकल्पों का हटाया जाना, भारतीय स्टेटस द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की स्थिरता और तुलनात्मकता बनाए रखने के लिए किया गया है। हालांकि, इन परिवर्तनों के परिणाम उत्थान में नहीं होंगे।
- देश के आर्थिक वातावरण पर कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि आईएफआरएस द्वारा अस्तित्व में आने वाले आर्थिक वातावरण की तुलना में अलग है। ये मतभेद भारत में आर्थिक स्थितियों

© The Institute of Chartered Accountants of India

में अंतर के कारण हैं। इन विभेद जो आईएफआरएस में वर्णित लेखांकन सिद्धांतों और प्रथाओं के विचलन में हैं, आमतौर पर 'कार्व आउट' के नाम से जाना जाता है।

Additional guidance given in Ind AS over and above what is given in IFRS is terned as 'Carve in'.

10. भारत में आईएफआरएस को अभिसरण (Convergence to IFRS in India)

वैश्वीकरण के परिदृश्य में, भारत खुद को दुनिया भर में होने वाली विकास से अलग नहीं कर सकता। भारत में, जहां तक आईसीएआई और सरकारी अधिकारियों जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित राष्ट्रीय लेखा सलाहकार समिति, और विभिन्न नियामकों जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक, का उद्देश्य है हमेशा ध्वनि वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को तैयार करने के उद्देश्य के साथ संभवतः आईएफआरएस का पालन करने के लिए किया गया है। आईसीएआई, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (आईएफएसी) के सदस्य होने के कारण आईएफआरएस को माना जाता है और भारत में प्रचलित कानूनों, रीति–रिवाजों, प्रथाओं और कारोबारी माहौल के प्रकाश में, यथासंभव संभवतः उन्हें एकीकृत करने की कोशिक करता है।

इसके अलावा, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों के विदेशी अधिग्रहण की हालिया धारा वित्तीय स्थिति के बारे में विदेशी उद्यमों को समझने के लिये उच्च गुणवत्ता के मानकों को अपनाने और मजबूती के लिए एक आकर्षक मामला बनाती है और भारतीय प्राप्ति के खुलासे और शासन मानकों के अनुसार।

भारत में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने वैश्विक मानक के साथ भारतीय लेखा मानकों के भारतीय कॉर्पोरेट वातावरण में आईएफआरएस के आवेदन पर विचार करने अभिसरण के लिए काम किया है। आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखा मानकों की पूर्ण अभिसरण की बढ़ती जरूरत को स्वीकार करते हुए आईसीएआई ने विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया पूर्ण अभिसरण में IFRS को IASB द्वारा जारी किए गए उसी फॉर्म में शामिल करना शामिल है। लेखा मानक तैयार करते समय, आईसीएआई भारत में प्रचलित कानूनी और अन्य स्थितियों की पहचान करता है और संबंधित आईएफआरएस से विचलन करता है।

इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (आईएफआरएस) के साथ भारतीय लेखा मानकों के अभिसरण के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परामर्श से लेखांकन मानक बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लेखा मानक के दो अलग–अलग सेट होंगे, अर्थात् (i) भारतीय लेखा मानक आईएफआरएस – मानकों के साथ जुटाए गए हैं जो भारतीय लेखा मानकों के अंतर को IFRS (जिसे इंडस्ट्रीज के रूप में भी जाना जाता है) और (ii) मौजूदा अधिसूचित लेखा मानदंडों के अंतर को नष्ट करने के द्वारा एकत्रित किया जा रहा है।

11. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) क्या हैं ? (What are Indian Accounting Standards (IND as)]

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) IFRS आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) के पर्यवेक्षण और नियंत्रण और लेखा मानकों (एनएसीएएस) पर राष्ट्रीय सलाहाकार समिति के परामर्श के तहत भारत सरकार द्वारा जारी मानक मानकों को इकट्ठा करती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

एएसबी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (आईसीएआई) के तहत एक समिति है जिसमें सरकारी विभाग, शिक्षाविदों, अन्य पेशेवर निकायों जैसे प्रतिनिधि शामिल हैं आईसीएसआई, आईसीएआई, एसोचैम, सीआईआई, फिक्की, आदि के प्रतिनिधियों आदि। लेखा सलाहकार मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) ने इन मानकों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को सुझाया है। एमसीए को भारत में कंपनियों के लिए लागू लेखांकन मानदंडों को समझना होगा।

इंड एएस को इसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के रूप में नामित और गिने गए हैं।

भारतीय लेखा मानक			
वैश्वीकरण और उदारीकरण	वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता	वित्तीय वक्तव्यों की तुलनात्मकता	बढ़ी हुई प्रकटीकरण आवश्यकताएं

12. आईएफआरएस का इतिहास – परिवर्तित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)

[History of IFRS - Converged Indian Accounting Standard (IND as)]

आईएफआरएस की ओर पहला कदम

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) भारत में लेखा मानकों का मानदंड है–2006 में वापस, अंतर्राष्ट्रीय लेखा रिर्पोट मानक (आईएएफएस) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरणों के माध्यम से सूचित वित्तीय सूचना की स्वीकार्यता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देखें। आईएफआरएस की दिशा में यह कदम बाद में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

आईसीएआई के साथ परामर्श में भारत सरकार ने आईएएसबी द्वारा जारी IFRS को एकजुट करने और न लेने का निर्णय लिया। गोद लेने के बजाय अभिसरण का निर्णय आईएफआरएस आवश्यकताओं के विस्तृत विश्लेषण और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद लिया गया। तदनुसार, IFRS को तैयार करते हुए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के रूप में, इन मानकों को बनाए रखने के लिए, यथासंभव, संबंधित आईएएस/आईएफआरएस और प्रस्थान के अनुरूप प्रयास किए गए हैं, जहां, बिल्कुल जरूरी मानी जाती है। इन परिवर्तनों को विभिन्न कारकों पर विचार किया गया है, जैसे कि विभिन्न शब्दावली संबंधी परिवर्तन कानून में प्रयुक्त शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं, जैसे, 'लाभ और हानि के विवरण' और 'लाभ और हानि के बयान और अन्य के स्थान पर व्यापक आय' और 'बैलेंस शीट' की जगह 'वित्तीय स्थिति के बयान' के स्थान पर है। देश के आर्थिक वातावरण पर कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि आईएफआरएस द्वारा अस्तित्व में आने वाले आर्थिक वातावरण की तुलना में अलग है।

भारत सरकार – आईएफआरएस कन्वर्जेड इंड ए एस को प्रतिबद्धता

एक मजबूत अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए लगातार, तुलनीय और समझने योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यक है वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानक को प्राप्त करने के लिए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), लेखा में सक्रिय भूमिका के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ मिलकर भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के लागू करने के लिए तैयार किया गया। आईसीएआई का यह प्रयास भारत सरकार द्वारा समर्थित है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

शुरुआती इंड ए एस को वर्ष 2011 से लागू होने की उम्मीद थी। हालांकि, तथ्य यह देखते हुए कि कर मुद्दों सहित कुछ मुद्दों को अभी भी संबोधित किया जाना था, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंड एएसएस के कार्यान्वयन की तारीख को स्थगित करने का निर्णय लिया।

जुलाई 2014 में, भारत के वित्त मंत्री उस समय, श्री अरूण जेटली जी, अपने बजट भाषण में, नए भारतीय लेखा मानकों को अपनाने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ मौजूदा लेखा मानकों को एकजुट करने की एक तात्कालिकता की घोषणा की (भारतीय कंपनियों द्वारा)।

उपर्युक्त घोषणापत्र के अनुसार, आईएफआरएस – भारतीय लेखा मानक (इंड एएसएस) के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना के तहत कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम जारी किए हैं, जिसमें बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए इंड एएसएस के कार्यान्वयन के संशोधित रोडमैप को शामिल किया गया है और एनबीएफसी और भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)। अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल, 2015 से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ भारतीय लेखा मानक (इंड एएसएस) को लागू किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2016 से अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए इंड एएसएस क्रमशः बैंकिंग, बीमा, कंपनियों और एनबीएफसी को अलग–अलग रोड–मैप्स निर्धारित किए गए हैं।

13. इंड ए.एस. की सूची (List of IND as)

आई.एफ.आर.एस. और ए.एस. बनाम इण्ड ए.एस. :

इण्ड ए.एस.	आई.एफ. आर.एस.	इण्ड ए.एस./आई.एफ.आर.एस. का शीर्षक	ए.एस./ जी.एन.	ए.एस./जी. एन शीर्षक
101	1	भारतीय लेखांकन मानकों का सर्व–प्रथम अंगीकरण	–	–
102	2	अंशाधारित भुगतान	जी.एन. 18	कर्मचारी अंशाधारित सम्बन्धी भुगतान मार्गदर्शक टिप्पणी
103	3	व्यावसायिक संयोजन	ए.एस.14	एकीकरण सम्बन्धी लेखांकन
104	4	बीमा अनुबन्ध	–	–
105	5	विक्रय हेतु धारित गैर–चालू सम्पत्तियाँ और अप्रचलित परिचालन	ए.एस. 24	अप्रचलित परिचालन
106	6	खनिज सम्पदाओं का निष्कर्षण एवं मूल्यांकन	जी.एन. 15	तेल एवं गैस उत्पादक गति–विधियों सम्बन्धी मार्गदर्शक टिप्पणी
107	7	वित्तीय प्रपत्र : प्रकटन	–	–
108	8	परिचालन अनुभाग	ए.एस.17	अनुभाग रिपोर्टिंग
109	9	वित्तीय प्रपत्र	–	–
110	10	एकीकृत वित्तीय विवरण	ए.एस.21	एकीकृत वित्तीय विवरण

© The Institute of Chartered Accountants of India

111	11	संयुक्त प्रबन्धन	ए.एस.27	संयुक्त उपक्रमों में हित एवं वित्तीय रिपोर्टिंग
112	12	अन्य निकायों में हितों का प्रकटन	–	–
113	13	उचित मूल्यांकन मापन	–	–
114	14	नियामक स्थगित लेखे	जी.एन.	दर नियामित गतिविधियों का लेखांकन
115	15	ग्राहकों से अनुबन्ध सम्बन्धी आय	ए.एस.7 ए.एस.9	विनिर्माणी अनुबन्ध की आय सम्बन्धी गणना
116	16	पट्टे	ए.एस.19	पट्टे
1	1	वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति	ए.एस.1	लेखांकन नीतियों का प्रकटन
2	2	रहतिया	ए.एस.2	रहतिया मूल्यांकन
7	7	रोकड़ प्रवाहों का विवरण	ए.एस.3	रोकड़ प्रवाह विवरण
8	8	लेखांकन नीतियाँ लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन	ए.एस.5	आवधि शुद्ध लाभ या हानि पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन
10	10	रिपोर्टिंग अवधि पश्चात घटनाएं	ए.एस.4	आर्थिक चिट्ठा तिथि पश्चात घटना एवं आकस्मिकता
12	12	आय करारोपण	ए.एस.22	आय पर करों का लेखांकन
16	16	सम्पत्ति, प्लान्ट एवं उपकरण	ए.एस.10	सम्पत्ति प्लान्ट एवं उपकरण
19	19	कर्मचारी अनुलाभ	ए.एस.15	कर्मचारी अनुलाभ
20	20	सरकारी अनुदानों का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटन	ए.एस.12	सरकारी अनुदानों का लेखांकन
21	21	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	ए.एस.11	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव
23	23	उधारी लागतें	ए.एस.16	उधारी लागतें
24	24	सम्बन्धित पक्षकार प्रकटन	ए.एस.18	सम्बन्धित पक्षकार प्रकटन
27	27	पृथक् वित्तीय विवरण	–	–
28	28	एसोसियेट एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश	ए.एस.23	एकीकृत वित्तीय विवरणों में एसोसियेट्स के निवेश का लेखांकन
29	29	अतिस्फीतिकारक अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग	–	–
32	32	वित्तीय प्रपत्रों की प्रस्तुति	–	–

© The Institute of Chartered Accountants of India

33	33	प्रति अंश उपार्जन	ए.एस.20	प्रति अंश उपार्जन
34	34	अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	ए.एस.25	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
36	36	सम्पत्तियों में गिरावट	ए.एस.28	सम्पत्तियों में गिरावट
37	37	प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक सम्पत्तियाँ	ए.एस.29	प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक सम्पत्तियाँ
38	38	अमूर्त सम्पत्तियाँ	ए.एस.26	अमूर्त सम्पत्तियाँ
40	40	निवेश सम्पत्ति	ए.एस.13	निवेश लेखांकन
41	41	कृषि	–	–

14. भारतीय लेखा मानक (इण्ड एएस) के क्रियान्वयन के लिए रोडमैप

[Roadmap for Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) : A Snapshot]

बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों एवं बीमा कम्पनियों को छोड़कर

प्रथम चरण–1 अप्रैल, 2015 या तत्पश्चात (तुलनात्मक सहित) किसी भी कम्पनी के लिए ऐच्छिक आधार पर, जिसमें उसकी धारक, सहायक, संयुक्त उपक्रम या एसोसिऐट कम्पनी शामिल हैं।
1 अप्रैल, 2016 : अनिवार्य आधार पर
(a) अनुसूचित कम्पनियाँ भारतीय या विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर अनुसूचियन की प्रक्रियारत कम्पनियाँ जिनकी शुद्ध सम्पत्तियाँ ₹ 500 करोड़ या अधिक हो; (b) ऐसी गैर अनुसूचित कम्पनियाँ जिनकी शुद्ध सम्पत्तियाँ ₹ 500 करोड़ या अधिक रही हो; (c) उपर्युक्त के माता–पिता, सहायक, सहयोगी और जेवी
चरण II 1 अप्रैल, 2017 : अनिवार्य आधार
(a) सभी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं या भारत के अंदर या बाहर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में चरण 1 शामिल नहीं हैं (एसएमई एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के अलावा) (b) जिन लिस्टेड कंपनियों में 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की नेट वर्थ है— 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर (c) उपर्युक्त के माता–पिता, सहायक, सहयोगी और जेवी

- एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को इण्ड एएस लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
- इंड एएस के लागू होने के बाद, एक इकाई को बाद के सभी वित्तीय वक्तव्यों के लिए इण्ड एएस का पालन करना होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- उपर्युक्त रोडमैप द्वारा कवर नहीं की जाने वाली कंपनियां कंपनियां (लेखा मानक) नियम, 2006 में अधिसूचित मौजूदा लेखा मानकों को लागू करना जारी रखती हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), बीमा कंपनियों/कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

चरण 1 : 1 अप्रैल, 2018 से (तुलनात्मकता के साथ)

- एनबीएफसी (चाहे सूचीबद्ध न होने वाला) 500 करोड़ या उससे अधिक की नेट वर्थ है।
- कॉरपोरेट रोडमैप के तहत कवर किए गए लोगों के अलावा उपर्युक्त एनबीएफसी की होल्डिंग, सब्सिडियरी, जेवी और एसोसिएट कंपनी भी उस तिथि से लागू होगी।

चरण द्वितीय : 1 अप्रैल, 2019 से (तुलनात्मकता के साथ)

- एनबीएफसी जिनकी ईक्विटी और/या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या भारत में या भारत के बाहर के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और 500 करोड़ से कम की नेट वर्थ
- एनबीएफसी जिनकी सूची में 250 करोड़ या उससे अधिक के निबल मूल्य हैं लेकिन कम 500 करोड़ हैं।
- कॉरपोरेट रोडमैप के तहत पहले से ही कवर किए गए लोगों के अलावा होल्डिंग, सब्सिडियरी, जेवी और उपर्युक्त अन्य कंपनियों की एसोसिएट कंपनी भी उस तिथि से आवेदन कर सकती है।

समेकित और व्यक्तिगत वित्तीय विवरण दोनों के लिए लागू

- एनबीएफसी की 250 करोड़ से कम की नेट वर्थ इंडस्ट्रीज के रूप में लागू नहीं होगी।
- इंडस्ट्रीज के गोद लेने की अनुमति केवल जब रोडमैप के अनुसार आवश्यक है।
- इंडस्ट्रीज की स्वैच्छिक गोद लेने की अनुमति नहीं है

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और बीमाकर्ता/बीमा कम्पनियाँ

- 1 अप्रैल, 2019* से (तुलनात्मक सहित) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और 1 अप्रैल, 2021 से बीमाकर्ताओं/बीमा कम्पनियों के लिये;
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की धारक, सहायक, एसोसिएट कम्पनियाँ एवं संयुक्त उपक्रम (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) उपर्युक्त तिथि से लागू करेंगे भले ही कारपोरेट रूपरेखा में कभी से भी शामिल की गयी हो।
- शहरी सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए इण्ड ए.एस. को लागू करना अपेक्षित नहीं है।

---

* अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए इन्ड ए.एस. का क्रियान्वयन आगामी सूचना तक परिपत्र दि. 22 मार्च, 2019 द्वारा स्थगित रखा गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

सारांश (Summary)

- वित्तीय मानकों के उपयोगकर्ताओं के हितों में, लेखा मानकों का उद्देश्य, तुलनात्मकता, स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य है। आईसीएआई ने अभी तक, नौवीं लेखा मानक जारी किए हैं। हालांकि, 'असंतुलन लेखा' पर एएस 6 को 'असंगत संपत्ति' के रूप में एएस 26 जारी करने के परिणामस्वरूप 'अनुसंधान और विकास के लिए लेखांकन' पर एएस 10 की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और एएस 8 के संशोधन पर वापस ले लिया गया है। इस प्रकार प्रभावी रूप से वर्तमान में 27 लेखा मानक हैं।
- अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल, 2015 से स्वैच्छिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (आईएफआरएस) के साथ जुटाए गए भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) 1 अप्रैल, 2016 से और अनिवार्य रूप से 1 अप्रैल, 2016 से लागू किए जाएंगे। इंडस्ट्रीज के कार्यान्वयन के लिए अलग–अलग रोडमैप निर्धारित किए गए हैं क्रमशः बैंकिंग, बीमा कंपनियों और एनबीएफसी को।
- वैश्वीकरण के परिदृश्य में, भारत खुद को दुनिया भर में होने वाली विकास से अलग नहीं कर सकता। भारत में, जहाँ तक आईसीएआई और सरकार के अधिकारियों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे विभिन्न नियामकों का संबंध है, उद्देश्य हमेशा तैयार किया गया उद्देश्य के साथ संभवतः ध्वनि वित्तीय रिपोर्टिंग मानक आईएफआरएस का पालन करता रहा है ध्वनि वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों।
- भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) IFRS आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) के पर्यवेक्षण और नियंत्रण और लेखा सलाहकार मानकों (एनएसीएएस) पर परामर्श के तहत भारत सरकार द्वारा जारी मानक मानकों को एकीकृत करता है।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

बहुविकल्पीय प्रश्न

उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें :

1. भारत में गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं।

(a) केंद्र सरकार

(b) राज्य सरकार

(c) भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

2. लेखा मानक

(a) लेखा नीतियों को सुधार देना और वित्तीय वक्तव्यों की गैर–तुलनीयता को समाप्त करना।

(b) वित्तीय विवरणों की विश्वनीयता में सुधार।

(c) दोनों (a) और (b)

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. सुनिश्चित करने के लिए लेखा सिद्धांतों और नीतियों को मानकीकृत करना आवश्यक है

(A) पारदर्शिता

(B) अनुरूपता

(C) दोनों (a) और (b)

4. कौनसा समिति लेखांकन मानकों के अनुमोदन और कंपनियों को लागू करने के प्रयोजन के लिए उनके संशोधन के लिए जिम्मेदार है ?

(a) लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति।

(b) केंद्रीय सरकार सलाहकार समिति

(c) लेखा मानकों के अनुमोदन के लिए सलाहकार समिति।

5. वैश्विक मानक सुविधा

(a) पैसे के पार सीमा प्रवाह

(b) वित्तीय वक्तव्यों की तुलनात्मकता

(c) दोनों (a) और (b)

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न 1. संक्षेप में "लेखा मानक" का उद्देश्य समझाएं। लेखा मानकों को स्थापित करने के फायदे बताएं।

प्रश्न 2. वैश्विक मानक के रूप में IFRS के अभिसरण की आवश्यकता समझाओ।

प्रश्न 3. भारतीय लेखा मानक के मुद्दे का क्या महत्व है ?

हल/संकेत

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

[1. (c); 2. (c); 3. (c); 4. (a); 5. (c)]

सैद्धान्तिक प्रश्न

उत्तर 1. लेखा मानक को कई विकल्पों में से चुना जाने वाला सिद्धांतों और विधियों के बारे में लेखांकन नीतियों का सेट या विस्तृत दिशानिर्देश चुना गया है। ये मानक भारत में उपयोग में वर्तमान में विभिन्न लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुरूप हैं। लेखा मानकों की स्थापना का मुख्य लाभ यह है कि गोद लेने और लेखा मानकों के आवेदन एकरूपता, तुलनात्मकता और वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करते हैं।

उत्तर 2. वैश्विक मानदंडों में सीमा के पार सीमा प्रवाह, विभिन्न बाजारों में वैश्विक सूची और वित्तीय वक्तव्यों की तुलनात्मकता की सुविधा है। वैश्विक मानक वैश्विक आधार पर निवेशों की तुलना करने के लिए निवेशकों की क्षमता में सुधार करते हैं और इस प्रकार उनके फैसले की त्रुटियों का खतरा कम कर

© The Institute of Chartered Accountants of India

देते हैं। यह वैश्विक परिचालन के साथ कंपनियों के लिए अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग की सुविधा देता है और वित्तीय विवरणों के पुनर्स्थापन के लिए कुछ महंगी आवश्यकताओं को समाप्त करता है।

उत्तर 3. आईसीएआई के साथ परामर्श में भारत सरकार ने आईएएसबी द्वारा जारी IFRS को एकजुट करने और न लेने का निर्णय लिया। आईएफआरएस की आवश्यकताओं के विस्तृत विश्लेषण और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद गोद लेने के बजाय अभिसरण का निर्णय लिया गया। तदनुसार, आईएफआरएस–इकट्ठे हुए भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज एएस) तैयार करते समय, इन मानकों को बनाए रखने के लिए, यथासंभव, संबंधित आईएएस/आईएफआरएस और प्रस्थान के अनुरूप प्रयास किए गए हैं, जहां बिल्कुल आवश्यक माना जाता है।

●●

© The Institute of Chartered Accountants of India